2017/60433

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री जगदीश सिंह गहलोत से.नि.पु.अ.महिला मंडल स्कूल के सामने कुचीलपुरा,बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 245/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. उभयपक्ष हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 24.08.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणं अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थीगण से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब क्रमांक 1672 दिनांक 17.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, स्थापना शाखा एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर से संबंधित होने के कारण आर.टी. आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1423–1424 दिनांक 01.9.17 से सामान्य शाखा एवं स्थापना शाखा को तथा पत्रांक 1433 दिनांक 04.9.17 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी को हस्तानान्तरण करते हुए अपीलार्थी को भी रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है। सामान्य शाखा व स्थापना शाखा से प्राप्त सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1638 दिनांक 13.10.17 को प्रेषित की जाचुकी है। उनका यह भी निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर को संबंधित सूचना व अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

4. लोक सूचना अधिकारी एंव उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया व ना ही उनके प्रतिनिधि नियत पेशी पर उपस्थित आये है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

7. लोक सूचना अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर